न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री के0 सी0 वर्मा आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 23/2018/अपील/आर्म्स/बूंदी
दायरा दिनांक 6.8.2018
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

प्रभातीलाल पुत्र पोखरलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बूंदी–राज0।

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दिनेश सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.10.2018

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश संख्या/144 दिनांक 23.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।xx

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1149/93 वैधता अवधि 31.12.2017 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी ने पत्रांक/DSB/Bundi/18/3589 दिनांक 7.4.2018 से अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध मुक0 नं0 20/2000 धारा 147,148,149,323,325,ता.हि. थाना रानोली जिला सीकर मे दर्ज होकर चालान न्यायालय मे पेश किया गया जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2004 को दोषमुक्त किया जाना वर्णित करते हुये आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण व दस्तावेजात का अवलोकन कर जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं मे आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्रअनुज्ञापत्र का धारित रहना लोकशांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कतई उचित प्रतीत नही से शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1149/93 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर धारित शस्त्र 12 डीबीबीएल गन नं0 8391 को जिला शस्त्रागार बूंदी मे जमा कराने का जेरअपील आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश कर निवेदन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट मे प्रकरण मे दोषमुक्त होने, चाल–चलन ठीक होने का उल्लेख करते हुये अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई जो कानूनी व तथ्यात्मक भूल है। उक्त प्रकरण के अतिरिक्त आज तक अपीलांट के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। उक्त प्रकरण अपीलांट के भाई जिला परिषद सीकर के सदस्य के चुनाव के दौरान रजिंशवश दर्ज करवाया गया था जिसमे अपीलांट दोषमुक्त हो चुका है। न्यायालय द्वारा दोषीकरार नही दिये

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जाने के उपरांत भी अपीलांट को आपराधिक प्रवृति का मानने व लोकशांति एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से लाईसेन्स निरस्त करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। जेरअपील आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 4.6.2018 को जानकारी करने पर हुई जिसकी नकल 28.6.2018 को प्राप्त होने पर अपील पेश की गई अतः अपील पेश करने मे हुई देरी क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश निरस्त किया जाकर अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की गई। xx

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा लाईसेन्स नीवीनीकरण की अनुशंसा नही कर त्रुटि की है क्योंकि रिपोर्ट मे आपराधिक प्रकरण मे दोषमुक्त होना व अपीलार्थी का चाल चलन अच्छा होना वर्णित किया है ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी को आपराधिक प्रवृति का मानते हुये जेरअपील आदेश से शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निर्णय दिनांक 11.12.2004 की प्रमाणित प्रति पेश करते हुये जाहिर किया कि अपीलांट उक्त प्रकरण मे दोषमुक्त हुआ है अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है। लोकशांति व कानून व्यवस्था भंग करने संबधी पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है। अन्त मे विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये जेरअपील आदेश निरस्त करने एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध गम्भीर आपराधिक धाराओं मे मुकदमा दर्ज हुआ है जिससे अपीलार्थी का आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट होता है तथा उक्त आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही किये जाने के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है अतः अपील खारिज की जावे। xx

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है अतः प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू पर विचार किया जाकर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी ने डिले कन्डोन हेतु प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलम्ब का कारण बीमार होने के कारण अपील समय पर पेश नही करना अंकित करते हुये इस आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिसका रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक ने खण्डन नही किया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र मे

संभागीय आयुक्त

उल्लेखित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर अवलोकन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट मे अनुज्ञापत्रधारी/अपीलार्थी मुक0 नं0 20/2000 धारा 147,148,149,323,325,ता.हि.मे दोषमुक्त किया जाना वर्णित किया है जिसकी पुष्टि प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजि0 सीकर (राज0) द्वारा आपराधिक प्रकरण सं0 66/2000 राज0 राज्य बनाम सीताराम वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 11.12.2004 की प्रमाणित प्रति से होती है। ऐसी स्थिति मे उक्त आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के आधार पर लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही किये जाने संबधी जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट को उचित नही ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अन्य ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है जिससे अपीलार्थी का आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट करते हो तथा लोकशांति व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अपीलांट द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञपत्र को निरस्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यो को परीक्षण किये बिना ही मात्र जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की आधारहीन रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने मे कानूनी त्रुटि की है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय/आदेश को न्यायोचित नही पाते है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश संख्या/144 दिनांक 23.5.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी को उक्त विवेचित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर अपीलार्थी के चाल चलन एवं आपराधिक प्रवृति के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से स्पष्ट एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबध मे पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय/आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है। xx

7 निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0 सी0 वर्मा)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा